न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबरः–प्रार्थना पत्र विविध / 294 / 2017 तारीख रजु 29.12.2017

उनवान

सरकार

———प्रार्थी

बनाम

राजीव पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन हाल मंत्री जवाहरलाल नेहरू शिक्षा प्रसार समिति हिण्डौन

———अप्रार्थी

उपस्थितिः–

अप्रार्थी की ओर से :– श्री नरेन्द्र सिंह जादौन,एडवोकेट।

निर्णय

दिनांक 31.01.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने एक प्रार्थना पत्र राजस्व ग्राम हिण्डोन की जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 672 में दुरूस्ती हेतु धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 672 व आधार वर्ष की जमाबंदी खाता संख्या 1398 सैटलमेंट पूर्व की जमाबंदी संवत 2037–40 के खाता संख्या 576 तीनों में ही खातेदारान की वल्दियत नहीं है। चूंकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार डी.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत सेग्रीगेशन कार्य हेतु जमाबंदी ग्राम हिण्डौन संवत 2071–74 के खाता संख्या 672 में पूर्ण हिस्सा / प्रविष्टि शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अतः बाद सुनवाई पक्षकरान यथोचित दुरूस्ती आदेश प्रदान करने की कृपा करें एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिए नोटिस की गई।

अप्रार्थी की ओर से दिनांक 18.09.2018 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि कस्बा हिण्डोन के वर्तमान जमाबंदी खाता 672 में सेग्रीगेशन कार्य मे तिवाडी झूमरलाल, स्वरूपलाल को अलग अलग नाम मानते हुऐ सेग्रीगेशन कार्य में रूकावट आयी है, इन खातों में में हम सह खातेदार हैं। तिवाडी झूमरलाल स्वरूप लाल फर्म है।

वाद में अप्रार्थी के जबाब पर तहसीलदार हिण्डोन से रिपोर्ट ली जाकर शामिल पत्रावली की गई। मुताबिक रिपोर्ट आधार वर्ष की जमाबंदी कस्बा हिण्डौन में तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल जाति ब्राहमण खातेदार हैं। जमाबंदी सेग्रीगेशन में उक्त सभी नामों को अलग–अलग नाम मानकर पृथक खातेदार मान लिया गया है जबकि यह एक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला

फर्म का नाम है। खातेदार फर्म तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत शुदधि हेतु अभिशंषा तहसीलदार द्वारा की गई है।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार हिण्डौन द्वारा प्रकरण में खातेदारान की वल्दियत नहीं होने का उल्लेख करते हुऐ धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत शुद्धिकरण हेतु प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जबकि तहसीलदार हिण्डौन द्वारा अपने पत्रांक 91 दिनांक 15.01.2020 द्वारा तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल व्यक्ति नहीं होकर एक फर्म का नाम होना अंकित किया है। अतः प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार हिण्डौन की अभिशंषा एवं पत्रावली मे प्रस्तुत फर्म के दस्तावेजानुसार प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। अतः प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 491/1 रकवा 3.2400 हैक्टर पर दर्ज तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम के स्थान पर मैसर्स तिवाडी झूमरलाल स्वरूपलाल शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त भूमि मे अन्य खातेदारो का नाम व हिस्सा यथावत रहेगा। पूर्व मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 29.12.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

31.01.2020

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.02.28 15:03:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: